अपील संख्या : 116 /2022 अंतर्गत धारा–76 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/146

1. नजीरा पत्नि अली निवासी चक–1 ए.डी. तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. गाणेखां
3. समाने खां
4. सबीरा खातून

} पिसरान अली निवासी चक–1 ए.डी. तहसील पूगल जिला बीकानेर।

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व पूगल जिला बीकानेर।
2. कुदरत पत्नि अतुखां जाति मुसलमान निवासी आडूरी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज | न0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04.10.2022 | अभिभाषकगण उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रथमतः अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर हो। यह अपील उपखण्ड़ अधिकारी, पूगल जिला बीकानेर के आदेश दिनांक 05.07.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।<br>अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स के पति/पिता अली पुत्र बलूखां के नाम पुख्ता आवंटन तहसील पूगल के चक 1 ए.डी. के मु.न. 59/33 के किला नं. 1 ता 25 तादादी 23.02 बीघा एवं मु.न. 58/40 के किला नं. 11 ता 13, 18 ता 25 तादादी 08.14 बीघा कुल तादादी 31.16 बीघा आवंटनशुदा थी। अपीलांट के पति/पिता का दिनांक 10.01.2015 को देहांत होने पर अपीलांट के पक्ष में विरासतन इन्तकाल संख्या 122 दिनांक 05.02.2018 दर्ज हो गया। अपीलांट्स विवादित भूमि पर आवासीय ढाणी बनाकर काबिज एवं काश्त है। उक्त इन्तकाल सं. 122 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूगल को अपील पेश की, जिसमें दिनांक 14.07.2021 को तहसीलदार पूगल को विक्रय पत्र की जांच करते हुए नये सिरे से इंतकाल दर्ज करने की नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पूगल ने दिनांक 25.10.2021 को अपीलांट्स के स्थान पर रेस्पोडेंट सं. 2 कुदरत पत्नि अतुखां के नाम इंतकाल दर्ज करने के आदेश दे दिये। तहसीलदार पूगल के आदेश दिनांक 25.10.2021 के खिलाफ अधिनस्थ न्यायालय | |

राजस्व संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

संभागीय आयुक्त बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी पूगल में अपील पेश की गई, जिसमें उपखण्ड अधिकारी पूगल ने यह कह कर अपील खारिज कर दी कि उक्त प्रकरण से संबंधित अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर में जैरकार है। इसलिए इस स्तर पर कोई कार्यवाही की जानी संभव नही हैं। अतः धारा 151 सीपीसी का प्रयोग करते हुए इस अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वर्तमान में यह अपील इस न्यायालय में जैरकार है। उक्त आदेश दिनांक 05.07.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर अपील 05.07.2022 विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूगल के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई थी, वह तहसीलदार पूगल के आदेश दिनांक 25.10.2021 के खिलाफ़ पेश की थी और माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष जो अपील पेश की गई थी, वह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूगल के आदेश दिनांक 14.7.2021 के विरूद्ध पेश की है, जो दोनो आदेश अलग–अलग है, फिर भी उपखण्ड अधिकारी पूगल द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से जैर अपील आदेश दिनांक 05.07.2022 पारित किया है, जो कि स्वतः शून्य एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील में विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार पूगल के आदेश दिनांक 25.10.2021 के खिलाफ अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूगल में अपील पेश की गई, जिसको उपखण्ड अधिकारी पूगल द्वारा दिनांक 05.072022 को खारिज किया गया जो उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के अनुसार अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी पूगल को जो अपील पेश की गई है वह तहसीलदार पूगल के आदेश दिनांक 25.10.2021 के

खिलाफ पेश की गई एवं अन्य अपील जो इन्तकाल सं. 122 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूगल को अपील पेश की, जिसमें दिनांक 14.07.2021 को तहसीलदार पूगल को प्रतिप्रेषित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील (अपील सं. 06/2022) पेश की गई। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी पूगल के निर्णय दिनांक 14.07.2021 की पालना में तहसीलदार पूगल ने दिनांक 25.10.2021 को आदेश पारित कर दिये। तहसीलदार पूगल द्वारा उपखण्ड अधिकारी पूगल के आदेश की पालना हो जाने से उक्त अपील संख्या 06/2022 का औचित्य नही रह जाने से अपील सं. 06/2022 को निष्प्रभावी हो जाने के कारण खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2021 अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर एवं दस्तावेजों की गहनता से जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर